न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::— 14/2023

1. श्रीमति एजन पत्नि स्व. बालूलाल जाति धाकड निवारी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. मगराज पुत्र स्व. बालूलाल जातिज धाकड निवारी ठुकराई तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र नाराण जाति धाकड निवारी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. तुलसीराम पुत्र नाराण जाति धाकड निवारी ठुकराई तह0 बेगूँ
3. बदामीबाई पत्नि तुलसीराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
4. चन्द्रीबाई पुत्री बिजेराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
5. प्रेमबाई पुत्र बिजेराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
6. सीताबाई पुत्री बिजेराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
7. मोडीबाई पत्नि सुरेशचन्द्र जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
8. गुलाबीबाई पत्नि रूपा जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
9. शारदा पत्नि सुनिलकमार जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
10. श्रीमान भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा बेगूँ तह0 बेगूँ
11. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला चितौडगढ जरिये प्रतिनिधी राज0सरकार
12. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय जी बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :—30.04.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई तह. बेगूँ में स्थित है जिसके खाता संख्या 109 होकर आराजी नं. 1885 जामून वाला रकबा 0.0720 हैक्टर, आ.चा.2048 रकबा 0.0570 हैक्टर चाही1 चा.नं. 2050, आ0नं0 2050 रकबा 0.0650 हैक्टर चाही 1 , आ.नं. 2082 रकबा 0.03200 हैक्टर कुल कीता— 4 कुल रकबा 0.2260 हैक्टर है जिसमें वादीगण का 1/12—1/12 हक हिस्सा अर्थात कुल 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 और 2 एवं 4 से 6 का 1/6—1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

तथा मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई तह. बेगूँ में स्थित जिसके खाता संख्या 406 होकर आराजी नं. 836 रकबा 0.5830 हैक्टर कुल कीता 1 कुल रकबा 0.5830 हैक्टर है, जिसमें वादीगण का 1/12—1/12 हक हिस्सा अर्थात कुल 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 और 2 का 1/6—1/6 हक हिस्सा और प्रतिवादी सं. 7 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

तथा मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई तह. बेगूँ में स्थित जिसके खाता संख्या 404 होकर आराजी नं. 1862 रकबा 0.2670 हैक्टर कुल कीता 1 कुल रकबा 0.2670 हैक्टर है, जिसमें वादीगण का 1/12—1/12 हक हिस्सा अर्थात कुल 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 और 2 का 1/6—1/6 हक हिस्सा और प्रतिवादी सं. 8 का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

तथा मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई तह. बेगूँ में स्थित जिसके खाता संख्या 405 होकर आराजी नं. 913 रकवा 1.0760 हैक्टर कुल कीता 1 कुल रकबा 1.0760 हैक्टर है, जिसमें वादी सं. 1 का 1/4 वादी सं. 2 का 1/12 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1, 2 और 3 का 1/6—1/6 हक हिस्सा और प्रतिवादी सं. 9 का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

तथा मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई तह. बेगूँ में स्थित जिसके खाता संख्या 111 होकर आराजी नं. 2491/2352 रकवा 0.2430 हैक्टर माल 2 आ.नं. 907 रकबा 0.9920 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2380 हैक्टर है, जिसमें वादी सं. 1 का 1/12 और 1/6 अर्थात 1/4 हक हिस्सि तथाा वादी सं. 2 का 1/12 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1,2,3 का 1/6–1/6 हक हिस्सा और प्रतिवादी सं. 9 का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

तथा मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई तह. बेगूँ में स्थित है जिसके खाता सं. 110 होकर आराजी नं. 1736मी. रकबा 0.3930 हैक्टर माल 2 आराजी नं. 1857मी. रकबा 0.2265 हैक्टर चाही 1 चाह नं. 1855, आ.नं. 1860मी. रकबा 0.0570 हैक्टर चाह नं. 1849, आराजी नं. 2017 रकबा 0.0320 हैक्टर चाह नं. 2033 आराजी नं. 2091मी रकबा 0.1660 हैक्टर चाह नं. 2052, आराजी नं. 2230 रकबा 0.0970 हैक्टश्र माल 2 आराजी नं. 705 मी. रकबा 0.4610 हैक्टर कुल किता–7 कुल रकबा 1.4320 हैक्टर है। जिसमें वादीगण का 1/6–1/6 हक हिस्स अर्थात कुल 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 और 2 का 1/3–1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

यह कि उक्त आराजीयात में वादीगण का खाता सं. 109 में 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/6 हक हिस्स , खाता संख्या 406 में 1/12–1/12 हिस्स अर्थात कुल हिस्सा 1/6 हक हिस्सा खाता संख्या 404 मे 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/6 हक हिस्सा खाता संख्या 405 मे वादी सं. 1 का 1/4 और वादी सं. 2 का 1/12 हिस्सा खाता संख्या 111 मे 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/3 हक हिस्सा निर्हीत है और इसी अनुसार मौके पर बाहमी तौर बटवाडा होकर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर बिना रोक टोक काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य विधिवत बटवाडा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा संबंधि व मेरे पाली व भूमि की किस्म व लगान को लेकर आपसी विवाद करते रहते है, ओर हर समय लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी को तहसील में चल कर बटवाडा करने को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया इसलिए उक्त भूमि का हक हिस्से अनुसार बटवारा करने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि वादी का उक्त विवादित आराजीयात में दर्ज रेकार्ड हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा किया जाकर खाता अलग अलग किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होगा।

यह कि वाद कारण दिनांक 5.12.2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर बटवाडा कराने को कहा लेकिन मना करने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि प्रतिवादी सं. 10,12 व 13 वाद में आवश्यक पक्षकार भूमिधारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार व ऋणधारी बैंक होने से पक्षकार बनाया गयां। यह कि वाद वर्णित विवादित आराजी तह. बेगूँ में स्थित होने व पक्षकार भी तह बेगूँ के स्थाई निवासी होने के कारण वाद श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार को होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमान से वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है :–

(क) वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण के निहीत हक हिस्से खाता संख्या 109 मे 1/12–1/12हिस्सा अर्थात 1/6 हक हिस्सा, खाता संख्या 406 मे 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/6 हक हिस्सा, खाता संख्या 404 मे 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/6 हक हिस्स, खाता संख्या 405 मे वादी सं. 1 का 1/4 और वादी सं. 2 का 1/12 हिस्सा अर्थात कुल 1/3 हिस्स खाता संख्या 111 मे 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/3 हक हिस्सा निहीत होकर दर्ज रेकार्ड है उस अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर खाता पृथक से दर्ज रेकार्ड किया जावे, शेष खाता बदस्तूर रखा जावें।

(ख) कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादीगण हो व विरूद्ध प्रतिवादी हो प्रदान किया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तबल किया गया,पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 तक प्रतिवादी सं. 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायलाय द्वारा दिये गये।

दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के पश्चात वादी मामराज पुत्र स्व.बालूलाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिन्होने मुख्य परीक्षण में अपने बयानो को कलमबद्ध कराते हुए दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया। पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की पूर्ण होने के पश्चात बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा सुनी गई, अधिवक्ता

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...ता ने अपनी बहस को वादपत्र अनुसार करते हुए वादीगण का वादपत्र स्वीकार करने व वर्णित ...जी में आराजी का वादीगण के हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी ...व बुरी से बुरी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का आदेश प्रदान फरमावे। बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार वादवर्णित आराजी में जो हिस्सा वादीगण का अंकित किया है उसी अनुसार जमाबंदी में दर्ज होना पाया जाने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा टुकराई पटवार हल्का टुकराई के खाता संख्या 109 में 1/12–1/12हिस्सा अर्थात 1/6 हक हिस्सा, खाता संख्या 406 में 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/6 हक हिस्सा, खाता संख्या 404 में 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/6 हक हिस्सा , खाता संख्या 405 में वादी सं. 1 का 1/4 और वादी सं. 2 का 1/12 हिस्सा अर्थात कुल 1/3 हिस्सा खाता संख्या 111 में 1/12–1/12 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 1/3 हक हिस्सा निहीत होकर शेष हक हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड अनुसार तथा मौके पर कब्जे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वर्णित आराजी का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 3000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/255 दिनांक 22.04.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा टुकराई पटवार हल्का टुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

वादीगण खाता संख्या 109, 406

1– श्रीमति एजन बाई पति स्व.बालूलाल 1/2 मामराज पुत्र बालूलाल 1/2 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
836 मेरो	0.0971		
कीता– 01	0.0971 हैक्टर		

प्रतिवादीगण

श्री कैलाशचन्द्र पुत्र नाराण 1/5 तुलसीराम पुत्र नाराण 1/5 मोडीबाई पति सुरेशचन्द्र 3/5 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
836 मेरो	0.4859		
कीता– 01	0.4859 हैक्टर		

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

[illegible] खाता संख्या [illegible]

[illegible] 1/4 [illegible] पुत्र [illegible] 1/4 [illegible] सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		

योग= 02 [illegible] हैक्टर

प्रतिवादीगण

श्री [illegible] पुत्र नारायण 1/4 [illegible] पुत्र नारायण 1/4 [illegible] 1/4 [illegible] 1/4 [illegible] सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		

योग= 03 [illegible] हैक्टर

वादीगण खाता संख्या [illegible]

1- [illegible] 1/8 [illegible] पुत्र [illegible] 1/8 [illegible] पत्नि [illegible] 1/4 [illegible] सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
[illegible]	[illegible]		

योग= 01 [illegible] हैक्टर

प्रतिवादीगण

श्री कैलाशचन्द्र पुत्र नारायण 1/2 तुलसीराम पुत्र नारायण 1/2 [illegible] सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
[illegible]	[illegible]		

योग= 01 [illegible] हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible]

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या ::– 14/2023

1. श्रीमति एजन पत्नि स्व बालूलाल जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. ममराज पुत्र स्व. बालूलाल जातिज धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पुत्र नाराण जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
2. तुलसीराम पुत्र नाराण जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
3. बदामीबाई पत्नि तुलसीराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
4. चन्द्रीबाई पुत्री बिजेराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
5. प्रेमबाई पुत्र बिजेराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
6. सीताबाई पुत्री बिजेराम जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
7. मोडीबाई पत्नि सुरेशचन्द्र जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
8. गुलाबीबाई पत्नि रूपा जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
9. शारदा पत्नि सुनिलकमार जाति धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूँ
10. श्रीमान भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार सा बेगूँ तह0 बेगूँ
11. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला चितौडगढ जरिये प्रतिनिधी राज0सरकार
12. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय जी बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

वादीगण खाता सख्या 109, 406

1– श्रीमति एजन बाई पति स्व.बालूलाल 1/2 मामराज पुत्र बालूलाल 1/2 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
836 मेसे	0.0971		
कीता– 01	0.0971 हैक्टर		

प्रतिवादीगण

श्री कैलाशचन्द्र पुत्र नाराण 1/5 तुलसीराम पुत्र नाराण 1/5 मोडीबाई पति सुरेशचन्द्र 3/5 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
836 मेसे	0.4859		
कीता– 01	0.4859 हैक्टर		

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

वादीगण खाता सख्या 405, 111
श्रीमति एजन बाई पति स्व.बालूलाल 3/4 मामराज पुत्र बालूलाल 1/4 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
907 मेसे	0.6903		
2491/2352 मेसे	0.0810		
कीता– 02	0.7713 हैक्टर		

प्रतिवादीगण
श्री कैलाशचन्द्र पुत्र नाराण 1/4 तुलसीराम पुत्र नाराण 1/4 वदामीबाई पति तुलसीराम 1/4 शारदा पति सुनिलकुमार 1/4 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
913	1.0760		
907 मेसे	0.3047		
2491/2352	01620		
कीता– 03	1.5427 हैक्टर		

वादीगण खाता सख्या 404
3– श्रीमति एजन बाई पति स्व.बालूलाल 1/8 मामराज पुत्र बालूलाल 1/8 गुलाबीबाई पति रूपा 3/4 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1863 मेसे	0.1780		
कीता– 01	0.1780 हैक्टर		

प्रतिवादीगण
श्री कैलाशचन्द्र पुत्र नाराण 1/2 तुलसीराम पुत्र नाराण 1/2 धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1863 मेसे	0.0890		
कीता– 01	0.0890 हैक्टर		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/271 दिनांक ::– 6.5.25
अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दि जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)